बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं० सं0–पि0व0 / स्था०–15–108 / 2013– 1541

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका,
पटना / मोकामा (पटना) / गया / मुंगेर / भागलपुर / सहरसा / पूर्णियाँ
समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / सारण(छपरा) एवं रोहतास(सासाराम)।

पटना, दिनांक–

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद पर सेवानिवृत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में संविदा पर नियुक्त शिक्षकों जिनके अवधि विस्तार का मामला विचाराधीन है को छोड़कर शेष शिक्षकों के रिक्त पद पर सेवानिवृत शिक्षक (65 वर्ष से अन्युन आयु वाले) को तत्कालीक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अथवा स्थायी नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो संविदा पर विषयवार नियुक्ति करते हुए विभाग से घटनोत्तर सहमति प्राप्त कर ली जाय।

सेवानिवृत शिक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगी एवं नियतत होगी। सेवानिवृत शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय में योगदान करेंगे एवं इसकी सूचना संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं विभाग को देंगे। सभी सेवानिवृत शिक्षक अपना पी०पी०ओ० / अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे। सभी सेवानिवृत शिक्षक विद्यालय के दो किलोमीटर की परिधि में अपना आवास रखेंगे। जिन सेवानिवृत शिक्षकों को पेंशन अनुमान्य नहीं है उन्हें किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव में माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / स्था०–15–108 / 2013– पटना, दिनांक 1541 दिनांक – 30/06/2015

प्रतिलिपि– जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना / गया / मुंगेर / भागलपुर / सहरसा / पूर्णियाँ / समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / सारण(छपरा) एवं रोहतास(सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6/15
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

D/Dev./V.K./
29-06-2015 11:48